



MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
GOVERNMENT OF INDIA

**OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
(MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES)**

'A' Wing, 7th Floor, Nirman Bhawan, New Delhi-110011

Ph. No.: 011-23061472, 23061430; Fax: 011-23062315; Email Id: Estt-hqrs@dcmsme.gov.in

NOTICE

Shri Amreesh Kumar Jain, Assistant Director (Grade-I) while working in MSME-Development and Facilitation Office, Indore (erstwhile MSME-Development Institute, Indore) had proceeded on unauthorized leave with effect from 05.01.2015 and thereafter, till date remained absent in the office without any intimation. As per provision of Rule 25(2) of Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, willful absence from duty after expiry of leave renders the officer of Government of India liable for disciplinary action and since, he failed to join his duty till 06.05.2022, the Charge Sheet Memorandum for Major Penalty under Rule 14 of Central Civil Services (Classification Control and Appeal) Rules, 1965 has been issued on 06.05.2022 under F. No. A-20025/11/93-A(NG) (E-20392) alleging that his unauthorized absence from duty. He acted in a manner, which is unbecoming of Government Servant and thereby, he has contravened the provision of Rule 3(1)(iii) of Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964.

2. Charge Sheet Memorandum were sent to his all known addresses available with this office by Speed Post. However, the Charge Sheet Memorandum could not be served on Shri Amreesh Kumar Jain and sent back by the Postal Authority with a remark 'Not Known'.

3. This office has taken maximum efforts to take out the whereabouts of Shri Amreesh Kumar Jain to deliver a copy of Charge Sheet Memorandum dated 06.05.2022, however, the copy of Charge Sheet could not be served on him due to his non-availability on all known addresses available with this office. Therefore, Shri Amreesh Kumar Jain is hereby directed to refer the charge Sheet Memorandum dated 06.05.2022 published in the official website of Office of Development Commissioner www.dcmsme.gov.in and submit within 15 (fifteen) Days from the publication of this notice in this newspaper, a return statement of his defence, as directed in the Charge Sheet Memorandum dated 06.05.2022, failing which the case will be decided on the basis of available documents and as per existing provisions of law.

sd/-

04 August, 2022

(Maya Pandey)

Deputy Secretary to the Government of India
Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises
New Delhi

F. No. A-20025/11/93-A(NG) (E-4020392)
New Delhi, the 04 August, 2022



संघर्ष भवन
MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
GOVERNMENT OF INDIA

विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)

'ए' विंग, 7वां तल, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011

फोन.नं.: 011-23061472,23061430; फैक्स: 011-23062315; ई-मेल आईडी: Estt-hqrs@dcmsme.gov.in

नोटिस

श्री अमरीश कुमार जैन, सहायक निदेशक (ग्रेड-1) जो एमएसएमई विकास और सुविधा कार्यालय, इंदौर (पूर्व में एमएसएमई-विकास संस्थान, इंदौर) में कार्यरत थे, दिनांक 05.01.2015 से अनाधिकृत अवकाश पर चले गए और तत्पश्चात, अभी तक बिना किसी सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित हैं। केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली के नियम 25(2) के प्रावधानों के अनुसार अवकाश की समाप्ति के बाद कार्य से जानबूझकर अनुपस्थिति भारत सरकार के अधिकारी को अनुशासनिक कार्रवाई का भागी बनाती है और चूंकि, वह दिनांक 06.05.2022 तक कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहे हैं, उन्हें केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 14 के अंतर्गत दीर्घ शास्ति हेतु दिनांक 06.05.2022 को फाइल संख्या ए-20025/11/93-ए (एनजी) (ई-20392) के द्वारा कार्य से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप लगाते हुए आरोप पत्र ज्ञापन जारी किया गया है। उनका ऐसा कृत्य एक सरकारी सेवक होने के अयोग्य है और इस प्रकार उन्होंने केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3(1)(iii) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

2. आरोप पत्र ज्ञापन उक्त कार्यालय में उपलब्ध उनके सभी ज्ञात पतों पर स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया था, तथापि आरोप पत्र ज्ञापन श्री अमरीश कुमार जैन को नहीं दिया जा सका और डाक प्राधिकारी द्वारा 'जानकारी नहीं' की टिप्पणी के साथ लौटा दिया गया था।

3. उक्त कार्यालय द्वारा दिनांक 06.05.2022 के आरोप पत्र ज्ञापन की प्रति देने के लिए श्री अमरीश कुमार जैन के पते को खोजने के लिए काफी प्रयास किए गए, फिर भी इस कार्यालय में उपलब्ध उनके सभी ज्ञात पतों पर उनके उपलब्ध न होने के कारण आरोप पत्र की प्रति उन्हें नहीं दी जा सकी। अतः श्री अमरीश कुमार जैन को विकास आयुक्त के कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dcmsme.gov.in पर प्रकाशित दिनांक 06.05.2022 के आरोप पत्र का संदर्भ लेने और इस समाचार पत्र में उक्त आरोप पत्र के प्रकाशन के 15 दिन के भीतर दिनांक 06.05.2022 के आरोप पत्र ज्ञापन में दिए गए निदेशानुसार अपना बचाव वक्तव्य प्रस्तुत करने का निदेश दिया जाता है, ऐसा न करने पर उपलब्ध दस्तावेजों और विधि के मौजूदा प्रावधानों के आधार पर मामले पर निर्णय लिया जाएगा।

04 अगस्त, 2022

(माया पांडे)

भारत सरकार के उप सचिव
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
नई दिल्ली

फा. सं. ए-20025/11/93-ए/(एनजी)/ई-4020392)

नई दिल्ली, 04 अगस्त, 2022